रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5—मई 11, 2007 (वैशाख 15, 1929)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5—MAY 11, 2007 (VAISAKHA 15, 1929)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।**

**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

## विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 571

भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 389

भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 681

भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1959

भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 303

भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III--खण्ड-4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 5309

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 307

भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

# CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . 571

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . 389

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . . 681

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . . 1959

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . . 303

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . . 5309

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . . 307

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

* Folios not received.

# भाग I—खण्ड 1
# [PART I—SECTION 1]
## [(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 094, दिनांक 11 अप्रैल 2007

सं. 8/3/11/2007-हि.--भारत सरकार, अन्तरिक्ष विभाग के दिनांक 15.9.2005 के संकल्प सं. 7/3/11/2004-VI द्वारा गठित अन्तरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति में श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य (रा. स.) को, इस समिति की बाकी की कार्यावधि के लिए, सदस्य के रूप में श्री पी. के. महेश्वरी, संसद सदस्य (रा.स.) के स्थान पर नामांकित करती है।

र. गो. नडादूर
संयुक्त सचिव

---

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2007

संकल्प

सं. क्यू./हिन्दी/621/21/2006--दिनांक 8 फरवरी, 2005 और 19 दिसंबर, 2006 के संकल्प सं. क्यू/हिंदी/621/88/98 में आंशिक संशोधन करते हुए विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में स्व. कमलेश्वर के स्थान पर डा. अरुणा मुकिम को समिति की शेष अवधि के लिए नामित किया जाता है। समिति के कार्य, कार्य क्षेत्र और कार्यकाल यथावत रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :

राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा निदेशक, केंद्रीय राजस्व समिति के सभी सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी. पी. हरन
संयुक्त सचिव

---

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. 1/3/2007-कमेटी--समान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा वैज्ञानिक तथा ओद्यौगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के शासी निकाय का दिनांक 16 मार्च, 2004 से 15 मार्च, 2007 तक अर्थात् तीन वर्ष अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री (अध्यक्ष, सीएसआईआर) ने सीएसआईआर के शासी निकाय का कार्यकाल बढ़ा कर 30 जून, 2007 तक कर दिया है।

शंभू सिंह
वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (प्रशासन)

---

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
(राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2007

संकल्प

सं. ए 33011/1/2007 रा.न.सं.निदे.--राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 5 सितम्बर, 1995 के संकल्प संख्या ए 33011/1/93-जीडीपी-I, जिसे 30 सितम्बर 1995 को भारत के रापत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित किया गया था, के पैरा 5 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित तीन विशेषज्ञों की सदस्यता का कार्यकाल जो मद संख्या (xiii) के सामने दर्शाया गया है, 22.8.2007 तक की अवधि के लिए अथवा राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की 12वीं बैठक आयोजित होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है :--

| | |
|---|---|
| 1. प्रोफेसर के. जे. नाथ | अध्यक्ष, आर्सेनिक टास्क फोर्स, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पूर्व निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | प्रोफेसर बी. बी. सुदर्शन | पूर्व कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय |
| 3. | प्रोफेसर टी.पी. हाल्लपा गौड़ा | प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पर्यावरणीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, जे. सी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग,मैसूर |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संलग्न सूची के अनुसार संबंधित को संप्रेषित की जाए :

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. के. वैश
संयुक्त सचिव

---

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2006

सं. एफ. 24-4/2001-टी.एस.III--इस विभाग के दिनांक 14.5.2004 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में दिनांक 16.10.2006 को आयोजित बैठक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जिस पद के लिए शैक्षिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण निर्धारित है, उस पद हेतु केन्द्र सरकार के अन्तर्गत नियोजन के प्रयोजनार्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जा रही प्रथमा परीक्षा को अनंतिम आधार पर दी गई मान्यता को 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् दिनांक 27.10.2007 से 26.10.2010 के लिए बढ़ाया जाए जिसके पश्चात् समिति दी गई मान्यता की समीक्षा करेगी।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

---

सं. एफ. 24-6/2001-टी.एस.III--दिनांक 16.10.2006 को आयोजित बैठक में शैक्षिक अर्हता से संबंधित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के अधीन उपयुक्त क्षेत्र के पदों पर और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजनार्थ भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा कोर्स इन जर्नलिज्म (हिन्दी) को दी गई मान्यता को अगले आदेश तक जारी रखा जाए।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

---

दिनांक 24 नवम्बर 2006

सं. एफ. 23-2/2001-टी.एस.-III--मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत), मुम्बई इस मंत्रालय के दिनांक 28.5.1976 के पत्र संख्या एफ. 18-31/71-टी.-2 के माध्यम से वर्ष 1976 से संगठन सदस्यता पाठ्यक्रम का भाग ए और बी चला रहा है जो मैकेनिकल इंजीनियरी डिग्री के समकक्ष है और इस मंत्रालय के दिनांक 11.7.1988 के पत्र संख्या एफ. 1-5/87/टी-7/टी-13 के माध्यम से वर्ष 1988 से तकनीशियन इंजीनियर (टी) का भाग-I और भाग-II संचालित कर रहा है जो किसी राज्य पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरी डिप्लोमा के समकक्ष है। वर्ष 2002 में इन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस लेते हुए, भारत सरकार ने मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत), मुम्बई को इस बात की अनुमति दी थी कि वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के पश्चात् ही अपने डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता दिलाने के लिए इस मंत्रालय से संपर्क करें। तदनुसार, उपर्युक्त संस्थान ने आवश्यक सामग्री के साथ अपना अनुरोध इस विभाग के पास समीक्षा और विचार करने हेतु भेजा। इस विभाग ने इस सामग्री की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से पुनः जांच करवाई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से दोनों पाठ्यक्रमों की पुनः जांच की और दोनों पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में संशोधन सहित अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

शैक्षिक योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी दिनांक 16.10.2006 की बैठक में इस मामले पर विचार किया और भारत सरकार ने उसकी सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(i) मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत), मुम्बई द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता 16.10.2006 से बहाल की जा रही है। इस मान्यता के आधार पर मैकेनिकल इंजीनियर संस्थान (भारत) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नई पाठ्यचर्या के आधार पर अपने पाठ्यक्रम चलाएगा। अनुमोदन के अनुसार तकनीशियन इंजीनियर पाठ्यक्रम भाग-I और भाग-II (डिप्लोमा स्तर) में वर्तमान 14 पेपरों के स्थान पर 22 पेपर होंगे और संगठन सदस्यता के डिग्री स्तर पाठ्यक्रम के भाग ए और बी में वर्तमान 11 पेपरों के स्थान पर 24 पेपर होंगे। थ्यौरी पेपर पूरे करने के पश्चात् छात्रों को तकनीशियन इंजीनियरी पाठ्यक्रम के भाग-I और भाग-II हेतु मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा के समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक में कम से कम 3 माह की अनिवार्य प्रशिक्षुता/प्रायोगिक प्रशिक्षण/परियोजना रिपोर्ट करनी होगी और संगठन सदस्यता पाठ्यक्रम के भाग ए और बी में मैकेनिकल इंजीनियरी स्नातक डिग्री के समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित डिग्री कॉलेज में उपर्युक्त अवधि का प्रशिक्षुता/प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ii) तकनीशियन इंजीनियर (डिप्लोमा स्तर) के भाग-I और भाग-II तथा संगठन सदस्यता पाठ्यक्रम (डिग्री स्तर) के भाग ए और बी में दिनांक 10.6.2002 से पहले नामांकित छात्रों को दिसम्बर, 2006 में होने वाली आगामी परीक्षा में संशोधन से पहले की पाठ्यचर्या में ही अपने पाठ्यक्रम पूरे करने की अनुमति दी जाएगी। उनकी डिग्री/डिप्लोमा केन्द्र सरकार में रोजगार हेतु मान्य होगा जो छात्र दिसम्बर, 2006 तक अपने पाठ्यक्रम पूरे नहीं कर पाएंगे उन्हें संशोधित पाठ्यचर्या का ही अनुपालन करना होगा।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 11th April 2007

No. 8/3/11/2007-H.—The Government of India is pleased to nominate Shri Satyabrata Chaturvedi, Member of Parliament (R.S.) as member, for the remaining period of the Joint Hindi Salahakar Samiti of Department of Space and Department of Atomic Energy constituted vide Resolution No. 7/3/11/2004-VI dated 15.09.2005 of the Department of space in place of Shri P. K. Maheshwari, Member of Parliament (R.S.).

R. G. NADADUR,
Joint Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th April 2007

RESOLUTION

No.Q/Hindi/621/21/2006.—In partial modification of Resolution No.Q/Hindi/621/88/98, dated February 8, 2005 and December 19, 2006, Dr. Aruna Mukim is nominated as non-official member of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of External Affairs in place of Late Kamleshwar for the remaining term of the Committee. The functions, jurisdiction and tenure of the Committee will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to the following :—

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of the Parliament on Official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, All members of the Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that this resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. HARAN
Joint Secy. (AD)

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 23rd April 2007

No. 1/3/2007-Cte.—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) was constituted by the President, CSIR for three years w.e.f. 16th March, 2004 to 15th March, 2007.

The Hon'ble Prime Minister of India (President, CSIR) has been pleased to extend the tenure of Governing Body, CSIR till 30th June, 2007.

SAMBHU SINGH
Financial Adviser & Jt. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE)

New Delhi, the 9th April 2007

RESOLUTION

No. A-33011/1/2007-NRCD-I.—In paragraph 5 of the Resolution No. A.33011/1/94-GPD.I dated 5th September 1995 of the Ministry of Environment and Forests, National River Conservation Directorate and published in the Gazette of India Part I Section 1 dated 30th September 1995, the tenure of the membership of the following three experts in the National River Conservation Authority (NRCA) under the Chairmanship of the Prime Minister appearing against item (viii) thereof shall be continued for the period upto 22.08.2007 or the holding of 12th meeting of NRCA, whichever is earlier.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prof. K. J. Nath | Chairman, Arsenic Task force, Salt Lake, Kolkata, West Bengal & former Director, All India Institute of Hygiene and Public Health |
| 2. | Prof. B. B. Sunderashan | Former Vice Chancellor, Anna University |
| 3. | Prof. T. P. Hallapa Gowda | Professor & Head, Center for Environmental Sciences & Technology, JC College of Engineering, Mysore. |

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned – as per list attached.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. VAISH
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 1st November 2006

No. F.24-4/2001-TS-III.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 14.05.2004, the Government of India, on the recommendations of High Level Committee in its meeting held on 16.10.2006, had decided to extend the provisional recognition granted to the Prathama Examination being conducted by Hindi Sahitaya Sammelan, Allahabad for the purpose of employment under the Central Government for the post for which the desired qualification is a pass in Matriculation for a further period of 3 years from 27.10.2007 to 26.10.2010, after which the Committee will review the recognition granted.

RAVI MATHUR,
Jt. Secy.

---

No. F.24-6/2003-TS-III.—On the recommendations of High Level Committee for the educational qualification in its meeting held on 16.10.2006, the Government of India has decided to continue the recognition of Post Graduate Diploma Course in Journalism (Hindi), run by Indian Institute of Mass

Communication, New Delhi for the purpose of employment to posts and services under the Central Government in the appropriate field till further orders.

RAVI MATHUR
Jt. Secy.

---

The 24th November 2006

No. F.23-2/2001-TS-III.—The Institute of Mechanical Engineers (India), Mumbai has been running Section A & B of Association Membership Course, equivalent to Degree in Mechanical Engineering since 1976, vide this Ministry's Letter No. F.18-31/71-T.2 dated 28.05.1976, and Part I & II of Technician Engineers (T), equivalent to Diploma in Mechanical Engineering from a State Polytechnic, since 1988, vide this Ministry's Letter No. F-1-5/87/T.7/T.13 dated 11.07.1988. In the year 2002, while withdrawing the recognition of these courses, Government of India allowed the IME (India), Mumbai to approach this Ministry for recognition of their Diploma/Degree Courses only after the removal of all the deficiencies pointed out by AICTE. Accordingly, the above Institute submitted a request alongwith the requisite material for review and consideration of this Department. This Department got the material re-examied by AICTE. AICTE, through its Expert Committee re-examined both the courses and submitted its recommendations with revision of syllabus for both the courses.

The High Level Committee for recognition of educational qualification considered the matter in its meeting held on 16.10.2006 and on its recommendations, Government of India has decided the following :

(i) The recognition of the course run by IME, may be restored with effect from 16.10.2006. with this recognition IME will run the courses based on new syllabus approved by All India council for Technical Education (AICTE). As per the approval, the Technician Engineers courses Part I & II (Diploma Level) will have 22 papers in place of existing 14 papers and Degree level course of Section A & B of Associate Membership will include 24 papers in place of 11 papers at present. In addition to this, there will be nine elective subjects. After completing theory papers, students will have to undergo at least 3 months mandatory apprenticeship/practical training/project report at an All India Council for Technical Education approved Polytechnic for Part I & II of Technician Engineers Course for award of Certificate equivalent to Diploma in Mechanical Engineering and the Apprenticeship/Practical training of the same duration in AICTE approved Degree Colleges for award of Certificate equivalent to Bachelors Degree in Mechanical Engineering for Section A & B of Associate Membership Course.

(ii) The students who were registered prior to 10.06.2002 for part I & II of Technician Engineers (Diploma Level) and Section A & B of Associate Membership course (Degree Level) will be allowed to complete the courses with pre-revised syllabus till the next scheduled examination, to be held in December 2006. Their Degree/Diploma will be recognized for employment in Central Government. Those who do not complete their courses by that time (December 2006), will have to follow the revised syllabus.

RAVI MATHUR
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 2007।
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007.